



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 8 बजट (1) 17/2025...12.2 (है) आ०

दिनांक- 02/01/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं० 02, राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403-पशुपालन, 101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 0101- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403001010101, 2403-पशुपालन, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403007890111 एवं 2403-पशुपालन, 796- जनजातियों के लिए उपयोजना, 0130- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403007960130 के अन्तर्गत कुल ₹2,13,50,000/- (दो करोड़ तेरह लाख पचास हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 2234 दिनांक 21.05.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 85(नि०) आ० दिनांक 22.09.2025 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹2,13,50,000/- (दो करोड़ तेरह लाख पचास हजार) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403-पशुपालन, 101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 0101- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403001010101, 2403-पशुपालन, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403007890111 एवं 2403-पशुपालन, 796- जनजातियों के लिए उपयोजना, 0130- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403007960130 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये राज्य स्कीम के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम अन्तर्गत निजी टीका कर्मियों के मानदेय भुगतान की योजना के लिए दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 227/वि०, दिनांक 28.03.2025 एवं पत्रांक 235/वि० दिनांक 01.04.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

8 A

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय /प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 17/2025...129(12)आ०/

पटना-15, दिनांक...02/01/2026

प्रतिलिपि- उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी०ए०-57-96-97-प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन

विभागीय राज्यादेश संख्या 2234 दिनांक 21.05.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं० 02, राज्य स्तर के अर्धीन बजट शीर्ष 2403-पशुपालन, 101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 0101- अस्पताल औषधालय तथा अन्य-स्थान, विपत्र कोड 02-2403001010101, 2403- पशुपालन, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111- अस्पताल औषधालय तथा अन्य-स्थान, विपत्र कोड 02-2403007890111 एवं 2403- पशुपालन, 796- जनजातियों के लिए उपयोजना, 0130- अस्पताल औषधालय तथा अन्य-स्थान, विपत्र कोड 02-2403007960130 के अन्तर्गत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरुद्ध नियुक्त टीकाकरण कार्यक्रम अन्तर्गत निजी टीका कार्यों के मानदेय भुगतान हेतु व्यय को वहन करने की योजना हेतु आवंटन की विवरणी :-

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	विषय शीर्ष 28.02-संवित्ता सेवाएँ										कुल आवंटन (रु० में)			
		02-2403001010101					02-2403007890111					02-2403007960130			
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन
1	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना	9,90,300	5,33,200	15,23,500	1,88,500	1,01,500	2,90,000	0	0	0	11,78,800	6,34,700	18,13,500		
2	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा	4,61,500	2,48,500	7,10,000	87,800	47,200	1,35,000	0	0	0	5,49,300	2,95,700	8,45,000		
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर	6,03,200	3,24,800	9,28,000	1,14,800	61,700	1,76,500	0	0	0	7,18,000	3,86,500	11,04,500		
4	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर	4,42,700	2,38,300	6,81,000	84,500	45,500	1,30,000	2,000	1,000	3,000	5,29,200	2,84,800	8,14,000		
5	जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास	7,39,000	3,98,000	11,37,000	1,45,000	78,000	2,23,000	20,800	11,200	32,000	9,04,800	4,87,200	13,92,000		
6	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमूर	4,90,800	2,64,200	7,55,000	1,01,800	54,700	1,56,500	44,000	24,000	68,000	6,36,600	3,42,900	9,79,500		
7	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया	18,14,500	9,77,000	27,91,500	3,45,800	1,86,200	5,32,000	0	0	0	21,60,300	11,63,200	33,23,500		
8	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद	2,00,200	1,07,800	3,08,000	38,100	20,400	58,500	0	0	0	2,38,300	1,28,200	3,66,500		
9	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अरवल	1,54,700	83,300	2,38,000	29,600	15,900	45,500	0	0	0	1,84,300	99,200	2,83,500		
10	जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद	10,17,900	5,48,100	15,66,000	1,94,100	1,04,400	2,98,500	1,000	500	1,500	12,13,000	6,53,000	18,66,000		
11	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा	8,84,000	4,76,000	13,60,000	1,68,400	90,600	2,59,000	0	0	0	10,52,400	5,66,600	16,19,000		
12	जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा	9,21,400	4,96,100	14,17,500	1,76,500	95,000	2,71,500	4,300	2,200	6,500	11,02,200	5,93,300	16,95,500		
13	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीवान	7,59,200	4,08,800	11,68,000	1,48,900	80,100	2,29,000	23,000	12,500	35,500	9,31,100	5,01,400	14,32,500		
14	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज	5,31,700	2,86,300	8,18,000	1,03,100	55,400	1,58,500	9,000	5,000	14,000	6,43,800	3,46,700	9,90,500		
15	जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा	7,25,400	3,90,600	11,16,000	1,38,000	74,500	2,12,500	0	0	0	8,63,400	4,65,100	13,28,500		
16	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी	12,86,700	6,92,800	19,79,500	2,45,000	1,32,000	3,77,000	0	0	0	15,31,700	8,24,800	23,56,500		
17	जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर	11,58,000	6,23,500	17,81,500	2,20,700	1,18,800	3,39,500	0	0	0	13,78,700	7,42,300	21,21,000		
18	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय	9,98,800	5,37,700	15,36,500	1,90,500	1,02,500	2,93,000	0	0	0	11,89,300	6,40,200	18,29,500		
19	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	9,28,900	5,00,100	14,29,000	1,77,500	95,500	2,73,000	2,000	1,000	3,000	11,08,400	5,96,600	17,05,000		
20	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी	8,77,900	4,72,600	13,50,500	1,68,000	90,500	2,58,500	4,900	2,600	7,500	10,50,800	5,65,700	16,16,500		
21	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी	3,92,300	2,11,200	6,03,500	74,800	40,200	1,15,000	0	0	0	4,67,100	2,51,400	7,18,500		
22	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर	90,400	48,600	1,39,000	17,300	9,200	26,500	0	0	0	1,07,700	57,800	1,65,500		
23	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बैतिया	8,49,600	4,57,400	13,07,000	1,71,300	92,200	2,63,500	49,400	26,600	76,000	10,70,300	5,76,200	16,46,500		
24	जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली	5,97,000	3,21,500	9,18,500	1,13,800	61,200	1,75,000	0	0	0	7,10,800	3,82,700	10,93,500		

Q 2

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	विषय शीर्ष 28.02-संवैदा सेवाये										कुल आवंटन (रु० में)			
		02-2403001010101					02-2403007890111					02-2403007960130			
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
25	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा	9,37,000	5,05,000	14,42,000	1,78,800	96,200	2,75,000	1,700	800	2,500	11,17,500	6,02,000	17,19,500		
26	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल	13,98,800	7,53,200	21,52,000	2,66,900	1,43,600	4,10,500	1,700	800	2,500	16,67,400	8,97,600	25,65,000		
27	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा	10,32,600	5,55,900	15,88,500	1,97,000	1,06,000	3,03,000	1,000	500	1,500	12,30,600	6,62,400	18,93,000		
28	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर	13,74,000	7,40,000	21,14,000	2,64,900	1,42,600	4,07,500	17,300	9,200	26,500	16,56,200	8,91,800	25,48,000		
29	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बांका	15,19,700	8,18,300	23,38,000	2,99,400	1,61,100	4,60,500	52,000	28,000	80,000	18,71,100	10,07,400	28,78,500		
30	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर	4,34,900	2,34,100	6,69,000	84,000	45,500	1,29,500	7,500	4,000	11,500	5,26,400	2,83,600	8,10,000		
31	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई	10,04,000	5,40,500	15,44,500	1,96,000	1,06,000	3,02,000	27,200	14,800	42,000	12,27,200	6,61,300	18,88,500		
32	जिला पशुपालन पदाधिकारी, लखीसराय	3,05,900	1,64,600	4,70,500	58,000	31,500	89,500	0	0	0	3,63,900	1,96,100	5,60,000		
33	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा	1,83,000	98,500	2,81,500	34,800	18,700	53,500	0	0	0	2,17,800	1,17,200	3,35,000		
34	जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया	6,51,000	3,50,500	10,01,500	1,24,000	67,000	1,91,000	0	0	0	7,75,000	4,17,500	11,92,500		
35	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ	17,44,000	9,39,000	26,83,000	3,40,000	1,83,000	5,23,000	40,000	21,500	61,500	21,24,000	11,43,500	32,67,500		
36	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार	15,16,500	8,16,500	23,33,000	3,01,000	1,62,500	4,63,500	64,500	35,000	99,500	18,82,000	10,14,000	28,96,000		
37	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज	12,67,000	6,82,500	19,49,500	2,44,400	1,31,600	3,76,000	16,300	8,700	25,000	15,27,700	8,22,800	23,50,500		
38	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया	16,25,000	8,75,500	25,00,500	3,11,000	1,67,500	4,78,500	6,900	3,600	10,500	19,42,900	10,46,600	29,89,500		
	कुल योग :-	3,29,09,500	1,77,20,500	5,06,30,000	63,44,000	34,16,000	97,60,000	3,96,500	2,13,500	6,10,000	3,96,50,000	2,13,50,000	6,10,00,000		

(दो करोड़ तेरह लाख पचास हजार) मात्र।

122 (रु०) आ०
02/01/26

निदेशक, पशुपालन।